दिनाक 27.10.2020
प्रेस विज्ञप्ति–27/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा बारावफात के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के दिये दिशा निर्देश

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, कमिश्नरेट लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक /पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को बारावफात के अवसर पर कोविड–19 के दृष्टिगत गृह मंत्रालय भारत सरकार व उ0प्र0 शासन द्वारा जारी एसओपी/गाइड लाइन में निहित निर्देशों के अनुरूप पर्व को मनाये जाने हेतु जनमानस को जागरूक किये जाने तथा उ0प्र0 शासन द्वारा दिनॉकः 09.10.2020 को व मुख्यालय स्तर से दिनॉकः 10.10.2020 को आगामी त्यौहारो के परिप्रेक्ष्य में निर्गत विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुये उक्त के कम में पुनः निम्न निर्देश दिये गये :–

- त्यौहार रजिस्टर में विगत वर्षो की प्रविष्टियों का अध्ययन करके पुराने एवं सम्भावित प्रकरणों का सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर त्वरित समाधान कराना सुनिश्चित करें ।
- सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे ट्विटर/व्हाट्सएप/फेसबुक/इंस्टाग्राम आदि विभिन्न प्लेटफार्मो पर सर्तक दृष्टि रखी जाय। आपत्तिजनक पोस्ट/अफवाहों का तत्काल सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों द्वारा संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्यवाही की जाय तथा अफवाहो का खण्डन किया जाय।
- असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनकी समीक्षा कर वैधानिक कार्यवाही की जाय। अभिसूचना तंत्र को और सकिय किया जाय।
- पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर सभ्रान्त नागरिकों, शान्ति समितियों, नागरिक सुरक्षा संगठन के सदस्यों आदि का सकिय सहयोग लिया जाय।
- जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों एवं अन्य स्थानों पर भी और प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग करायी जाय।

<u>एसटीएफः</u> साहसिक मुठभेड़ में यमुना एक्सप्रेस–वे/पेरिफेरल पर डकैती/लूटपाट की कई घटनाओं में व थाना नौहझील, मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 28/20 धारा 395 भादवि एवं अ0स0 29/20 धारा 395 भादवि थाना नौहझील जनपद मथुरा, जनपद अलीगढ़, जनपद पलवल हरियाणा के अभियोगों में वांछित एवं एक्सल गैंग के रू0 02 लाख का कुख्यात इनामी अपराधी साहसिक मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।

दिनांकः 26–10–2020 की सॉयकाल मे, जनपद मथुरा उ0प्र0 के थाना नौहझील क्षेत्र में एस0टी0एफ0 टीम तथा थाना नौहझील पुलिस के संयुक्त टीम के साथ हुई एक साहसिक मुठभेड़ के दौरान यमुना एक्सप्रेस–वे/पेरिफेरल पर डकैती, लूट की घटनाओं में व थाना नौहझील, मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 28/20 धारा 395 भादवि एवं अ0स0 29/20 धारा 395 भादवि एवं अन्य कई अभियोगों में वांछित तथा एक्सल गैंग के रू0 **02 लाख** के कुख्यात इनामी अपराधी **अनिल उर्फ अमित उर्फ जूथरा** साहसिक मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।

<u>अभियुक्त का विवरणः–</u>

अनिल उर्फ जुथरा पुत्र रमेश निवासी बनपोई थाना मौहम्मदाबाद, फर्रूखाबाद हाल पता– नजफगढ़, नई दिल्ली

<u>बरामदगीः</u>

1– 01 अदद रिवाल्वर 0.32 बोर मय 04 अद्द खोखा कारतूस व 02 मिस कारतूस
2– 01 पोनिया सिंगल बैरल बन्दूक 12 बोर
3– 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर
4– 15 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 मिस कारतूस
5– 01 तमंचा 315 बोर मय 02 खोखा कारतूस।
6– 02 अदद जिन्द कारतूस 315 बोर ।
7– 02 अदद एक्सल
8– 08 अदद नुकीली कील, हथौडा, एक पर्स मय दीगर कागजात
9– 01 अर्टिगा कार ।

<u>घटनास्थल का दिनांक समय/ स्थानः–</u>

दिनांक 26–10–2020, बाजवा कट से आगरा यमुना एक्सप्रेस–वे, सर्विस रोड के पास ग्राम पारसौली,थाना नौहझील जनपद मथुरा, समयः लगभग 18.55 बजे

एस0टी0एफ0, उ0प्र0 द्वारा घुमन्तू समुदाए के अपराधिक गिरोह के अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं गिरफ्तारी हेतु आदेश दिये गये थे। उक्त के क्रम में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मेरठ/ गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में उप निरीक्षक श्री ब्रहम प्रकाश द्वारा टीम गठित कर घुमन्तू समुदाए के पुरस्कार घोषित अपराधियों के सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 26–10–2020 को मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा को सूचना प्राप्त हुई कि हाईवे पर लूटपाट करने वाला गैंग यमुना एक्सप्रेस–वे पर नौहझील थाना क्षेत्र में कोई गंभीर घटना कारित करने के लिए सक्रिय है। तदोपरान्त इस सूचना को विकसित करके नोएडा एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना नौहझील से सम्पर्क स्थापित करने के उपरान्त जब संयुक्त रूप से ग्राम पारसौली के जंगल में पहॅुचे तो वहॉ पर एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी दिखाई दी और जब उसके समीप पहॅुचे तो चार व्यक्ति संदिग्ध गाड़ी की तरफ जाने लगे। पुलिस टीम द्वारा पुलिस होने का परिचय देते हुए रूकने के लिए कहा गया तो उन व्यक्तियों ने पुलिस वालों को निशाना बनाते हुए जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी, बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में आरक्षी देवदत्त एवं आरक्षी

राजन कुमार घायल हो गये। उसके पश्चात पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी संतुलित एवं नियन्त्रित फायरिंग में एक बदमाश घायल होकर गिर गया तथा 03 बदमाश अंधेरा/घना जंगल होने के कारण मौके से भाग गये। उसके पश्चात तत्काल राजकीय वाहन से घायल बदमाश एवं दोनो आरक्षियों को

उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौहझील ले जाया गया, वहॉ से गंभीर रूप से घायल बदमाश को जिला अस्पताल मथुरा के लिए रैफर किया गया, जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत अपराधी की शिनाख्त अनिल उर्फ अमित उर्फ अमित जूथरा उर्फ अंकित चौहान उर्फ झमूरा पुत्र स्व0 राजेन्द्र उर्फ रमेश निवासी गेयसिंहपुर, थाना मौहम्मदाबाद, जनपद फर्रूखाबाद के रूप में हुई।

मृतक अपराधी अनिल उर्फ अमित उर्फ अमित जूथरा उर्फ अंकित चौहान उर्फ झमूरा (उम्र लगभग 28 वर्ष) उपरोक्त की आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में छानबीन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अपराधी अनिल उर्फ अमित द्वारा अपने गिरोह के साथ उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के विभिन्न जिलों में हाईवे एवं एक्सप्रेस वे मार्ग पर एक्सल फेककर, सड़क पर कील डालकर गाड़ी में पंचरकर करके, लूट, डकैती एवं डकैती के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देने के साथ साथ, घरो में घुसकर लूट, डकैती जैसी दुर्दान्त घटनाओं को अंजाम भी दिया जाता था। मृतक बदमाश अनिल उर्फ अमित उर्फ अमित जूथरा उर्फ अंकित चौहान उर्फ झमूरा द्वारा लूट, डकैती की वारदात को अंजाम देते समय घर के सदस्यों एवं सवारियों के साथ मारपीट करके उनको घायल कर देने तथा दुर्व्यवहार करने की कई घटनाऐं कारित की गयी है।

मृतक अपराधी अनिल उर्फ अमित उर्फ अमित जूथरा उर्फ अंकित चौहान उर्फ झमूरा द्वारा की गई कुछ उल्लेखनीय घटनाओं का विवरण निम्नवत हैः–

1– दिनांक 23/24.10.2019 को जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस–वे पर इसने अपने गैंग के साथ गाड़ी पंचर करके 10 लाख रूपये लूटने की घटना कारित की थी, जिसके सम्बन्ध में थाना टप्पल, अलीगढ पर मु0अ0सं0ः 413/19 धारा 392 भादवि पंजीकृत है।

2– दिनांक 23.01.2020 को जनपद मथुरा के नौहझील थाना क्षेत्रान्तर्गत यमुना एक्सप्रेस–वे पर इसने ने अपने गैंग के साथ बलैनो कार पंचर करके गाड़ी को रोककर लैपटॉप, मोबाईल फोन व 08 हजार रूपये लूटने की घटना की थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नौहझील, मथुरा पर मु0अ0सं0–28/20 धारा 395 भादवि पंजीकृत है।

3– दिनांक 23–01–2020 को इसने अपने गिरोह के साथ थाना नौहझील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस–वे पर गाडी का टायर पंचर करके 80 हजार रूपये, फोन आदि लूट लेने की घटना कारित की थी जिसके सम्बन्ध में थाना नौहझील, मथुरा पर मु0अ0सं0:29/2020 धारा 395 भादवि पंजीकृत है।

4– दिनांक 27.01.2020 को हरियाणा में जनपद पलवल के थाना हथीन क्षेत्र में पलवल हाई–वे पर इसने अपने गैंग के साथ मिलकर स्विफ्ट कार में पंचर करके 05 हजार रूपये लूटने तथा 14 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म की घटना की थी जिसके सम्बन्ध में थाना हथीन, जनपद पलवल, हरियाणा पर मु0अ0सं0:21/20 धारा 6/25 आर्म्स एक्ट तथा धारा 365/377/395/397 भादवि व 06 पॉस्को अधिनियम पंजीकृत है।

5– दिनांक 24.05.2020 को हरियाणा में ही जनपद पलवल के थाना सदर पलवल क्षेत्र में इसने अपने गैंग के साथ क्रेटा कार रोककर 20 हजार रूपये लूटने की घटना की थी जसके सम्बन्ध में थाना सदर पलवल, हरियाणा में मु0अ0सं0ः 163/20 धारा 395,397 भादवि पंजीकृत है।

उल्लेखनीय है कि मृत अपराधी अनिल उर्फ अमित उर्फ जूथरा, उपरोक्त की गिरफ्तारी पर अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन, आगरा द्वारा मु0अ0स0 28/20 धारा 395 भादवि, मु0अ0स0 29/20 धारा 395 भादवि थाना नौहझील जनपद मथुरा के अभियोग मे वॉछित होने पर दिनांक 05–10–2020 को रूपया 01 लाख एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, अलीगढ परिक्षेत्र अलीगढ द्वारा मु0अ0स0 413/20 धारा 392 भावि थाना टप्पल जनपद अलीगढ में वॉछित होने पर दिनांक 10–03–2020 को रूपया 50,000/– तथा पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा दिनांक 13–08–2020 को रूपया 50,000/– का पुरस्कार घोषित हो रखा था। इस मृतक अपराधी की अन्य आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में अन्य जानकारियॉ की जा रही है।

मृतक अभियुक्त अनिल उर्फ अमित उर्फ जूथरा, उपरोक्त के सम्बन्ध में अब तक की गई छानबीन से निम्नवत् आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है:–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	413/2019	392 भादवि	टप्पल	अलीगढ
2	28/2020	395 भादवि	नौहझील	मथुरा
3	163/2020	395,397 भादवि	सदर पलवल	पलवल हरियाणा
4	29/2020	395 भादवि	नौहझील	मथुरा
5	21/2020	6/25 आर्म्स एक्ट, 365,377,395,397 भादवि	हथीन	पलवल, हरियाणा
6	165/2020	25/54/59 आर्म्स एक्ट, 379ए भादवि	हथीन	पलवल, हरियाणा
7	162/2020	25/54 आर्म्स एक्ट, 379ए भादवि	सदर पलवल	पलवल, हरियाणा
8	423/20	307 भादवि	नोहझील	मथुरा
9	424/20	3/25 आर्म्स एक्ट	नोहझील	मथुरा
10	425/20	3/25 आर्म्स एक्ट	नोहझील	मथुरा
11	426/20	3/25 आर्म्स एक्ट	नोहझील	मथुरा

उक्त पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना नौहझील, मथुरा पर मु0अ0सं0:423/20 धारा 307 भादवि, मु0अ0स0 424/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0स0 425/20 धारा 3/25 आमर्स एक्ट तथा मु0अ0स0 426/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद बागपत/थाना बडौत

- **लोहा व्यापारी के अपहरण की घटना में संलिप्त 08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **अपहृत का मोबाइल फोन सहित 09 मोबाइल फोन**
- **05 लाख रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 01 कार, 01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 26.10.2020 को जनपद बागपत की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों से 08 अभियुक्तों 1–गौरव 2–अभिषेक 3–अमित 4–सुमित 5–मोहसिन 6–अनुज 7–अश्वनी उर्फ प्रिन्स 8–राकी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अपहृत का मोबाइल फोन सहित 09 मोबाइल फोन, 05 लाख रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त 01 कार व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.10.2020 को वादी के पिता लोहा व्यापारी को थाना बडौत क्षेत्र लोहा गोदाम के पास से अज्ञात बदमाशों द्वारा अपहरण की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 903/2020 धारा 364ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें अपहृत की पूर्व में ही सकुशल बरामदगी की जा चुकी है तथा अपहरणकर्ताओं के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया।

इस संबंध में जनपद बागपत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गौरव नि0 इमली वाली गली गांधी रोड कस्बा व थाना बडौत बागपत।
2–अभिषेक नि0 कुन्दरपुरी रेलवे रोड कस्बा व थाना बडौत बागपत।
3–अमित नि0 ग्राम जौहडी थाना बिनौली बागपत।
4–सुमित नि0 ग्राम जौहडी थाना बिनौली बागपत।
5–मोहसिन नि0 ग्राम जिवाना थाना बिनौली बागपत।
6–अनुज नि0 ग्राम जिवाना थाना बिनौली बागपत।
7–अश्वनी उर्फ प्रिन्स नि0 कोताना रोड कस्बा व थाना बडौत बागपत।
8–राकी नि0 ग्राम बिजरौल थाना बडौत बागपत।

बरामदगी

1–अपहृत का मोबाइल फोन सहित 09 मोबाइल फोन।
2–05 लाख रू0 नगद।
3–घटना में प्रयुक्त 01 कार व 01 मोटरसाइकिल।

जनपद बलिया/थाना रेवती

- **50–50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित 02 अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 27.10.2020 को थाना रेवती एवं क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गंगा पाण्डेय टोला चौराहे से पुरस्कार घोषित 02 अपराधी 1–प्रयाग, 2–प्रभात प्रताप को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रेवती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 273/2020 धारा 147/148/149/302/323/352/504/506 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट में वांछित चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50–50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना रेवती पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रयाग निवासी रेवती थाना रेवती जनपद बलिया ।
2–प्रभात प्रताप निवासी रेवती थाना रेवती जनपद बलिया।

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

- **पुलिस कार्यवाही में 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, मय खोखा व जीवित कारतूस व**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 26.10.2020 को थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छः परसेंट के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त इस्लाम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया, उसका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया ,जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, मय जीवित व खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर के डकैती के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बिसरख पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—इस्लाम निवासी ग्राम ढ़किया थाना दिलारी जनपद मुरादाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, मय खोखा व जीवित कारतूस व 01 मोटरसाइकिल

<u>पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर /थाना सेक्टर 58</u>

- **पुलिस कार्यवाही में हत्या/लूट की घटना का अनावरण**
- **07 अभियुक्त गिरफ्तार, लूटी गयी क्रेटा कार,**
- **01 अवैध पिस्टल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, मय कारतूस, घटना में प्रयुक्त कार बरामद**

दिनांक 27.10.2020 को थाना सेक्टर 58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माडल टाउन गोल चक्कर के पास कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में 04 अभियुक्त 1—कुलदीप उर्फ हैप्पी, 2—विकास उर्फ विक्की, 3—सोनू, 4—समीम शेख घायल हो गये ,जिन्हें अन्य अभियुक्त 5—अजय कुमार, 6—मो0 नसीम शेख, 7— वासुकीनाथ के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गयी क्रेटा कार, मृतक के अन्य दस्तावेज व सामान, 01 अवैध पिस्टल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस, घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुयी। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 2/3.09.2020 की रात्रि में अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर कार लूट की घटना कारित की थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर 58 पर मु0अ0सं0—452/2020 धारा 396/412/482/120 बी भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद कार उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस संबंध में थाना सेक्टर 58 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कुलदीप उर्फ हैप्पी निवासी गडिया सीलम थाना मलावन जनपद एटा हाल पता–सेक्टर–2 ई–250 कामना अपार्टमेन्ट वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद।
2–विकास उर्फ विक्की निवासी मो0 गडिया थाना मलावन जनपद एटा हाल पता– सेक्टर–2 ई–250 कामना अपार्टमेन्ट वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद।
3–सोनू निवासी मो0 सिमराही बाजार थाना राधोपुर जनपद सुपोल (बिहार) हालपता–एच–14संजय कालोनी ओखला फेस–2 दिल्ली।
4–समीम शेख निवासी किशनगंज, बिहार हालपता–सेक्टर–1, 186–1, कामना अपार्टमेन्ट वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद।
5–अजय कुमार निवासी गन्दासपुरा थाना आयाना जनपद औरैया,हालपता–ई–238 कामना अपार्टमेन्ट वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद।
6–मो0 नसीम शेख निवासी सेक्टर–1, कामना जनता फ्लैट वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद।
7–वासुकी नाथ उर्फ वासु उर्फ स्टुअर्ट निवासी ग्राम बडैया मुलबरिया थाना मल्खनी जनपद देवरिया, हालपता सेक्टर–74ए कामना जनता फ्लैट सेक्टर–2 वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1– लूटी गयी क्रेटा कार, घटना में प्रयुक्त कार।
2–मृतक के कागजात व अन्य सामान।
3–01 अवैध पिस्टल, 3 अवैध तमंचा 315 बोर मय 07 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

जनपद अमरोहा/थाना गजरौला

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहा अपराधी गिरफ्तार**
- **09 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचे विभिन्न बोर, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 26.10.2020 की रात्रि थाना गजरौला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कांकाठेर को जाने वाले मार्ग पर स्थित मकान से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे शातिर अपराधी इन्द्रपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 09 निर्मित/अर्द्धनिर्मित, अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना गजरौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1— इन्द्रपाल निवासी ग्राम सादुल्लापुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

<u>बरामदगी</u>

1—09 निर्मित/अर्द्धनिर्मित, अवैध तमंचे विभिन्न बोर, व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, पुर्जे आदि।

<u>जनपद चन्दौली/थाना बलुआ</u>

- **दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **24 लाख रू0 कीमत का अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 27.10.2020 को थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मारूफपुर चौराहे के पास से दो अभियुक्तों 1—अंगज 2—शरद उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 24 लाख रू0 कीमत का 54 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

इस संबंध में थाना बलुआ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अंगज निवासी कुड़िहर थाना बरदह आजमगढ़।

2—शरद उर्फ बंटी नि0 ग्राम अगेहता थाना देवगांव आजमगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1—24 लाख रू0 कीमत का 54 किलोग्राम अवैध गांजा।

<u>जनपद गोण्डा/थाना मनकापुर (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की लगभग 08 करोड़ 41 लाख 50 हजार रू0 रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अभियुक्त नन्द किशोर बरूवार द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 08 करोड़ 41 लाख 50 हजार रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

——————